भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4331
उत्तर देने की तारीख 02 अप्रैल, 2026

सिम बाइंडिंग संबंधी विनियमन

4331. श्रीमती ममता ठाकुर:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) दूरसंचार विभाग ने सिम बाइंडिंग के लिए 90 दिन की समय-सीमा किन मानदंडों के आधार पर जारी की है; और
(ख) विभाग ने मोबाइल एप्लिकेशन के वेब एक्सेस से उपयोगकर्ताओं को लॉग-आउट करने से पहले 6 घंटे की समयावधि जिन मानदंडों के आधार पर निर्धारित की उन मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख): सरकार ने कुछ ऐप-आधारित संचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए हैं कि वे ग्राहक/प्रयोक्ताओं के डिवाइस में मौजूद सिम कार्ड (मोबाइल नंबर से संबंधित जिनका उपयोग ग्राहकों/प्रयोक्ताओं की पहचान के लिए या सेवा का प्रावधान या प्रदायगी करने के लिए किया जाता है) को संबंधित संचार सेवा ऐप के साथ लिंक करे और इसके अनुपालन के लिए दिनांक 31.12.2026 तक की समय सीमा निर्दिष्ट की है। इन निर्देशों के तहत, ऐसे मोबाइल ऐप के वेब सेवा इंस्टेंस को जोखिम-आधारित विश्लेषण के आधार पर लॉग आउट करना आवश्यक है। इस प्रकार के लॉग-आउट के लिए कोई विशिष्ट समयावधि निर्धारित नहीं की गई है।
